फतेहगढ़ पुलिस

रायपुर गांव में हुई थी हत्या, आरोपित को पुलिस ने भेजा जेल

जमीन की रंजिश में हुई थी रामदास की हत्या

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

रंजिश में की गई थी ग्रामीण की हत्या, आरोपित को भेजा जेल

बेचे गए खेत का आरोपित की पत्नी के नाम किया था बैनामा

संवाद सहयोगी, कायमगंज : पुलिस ने रामदास की हत्या का राजफाश गुरुवार को कर दिया। मुकदमेबाजी की रंजिश में ग्रामीण की हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्यारोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहां से आरोपित को जेल भेज दिया गया।

गांव रायपुर निवासी रामदास उर्फ पप्पू की रविवार रात गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पत्नी रीतू ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप ने बताया कि रामदास की हत्या गांव के ही वीरे जाटव ने की थी। प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा ने उसे गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हंसिया बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि रामदास चार भाई थे। सभी के हिस्से में सात-सात बीघा भूमि मिली थी। शराब पीने का आदी होने पर पहली पत्नी रामदास को छोड़ कर चली गई थी। उन्होंने बताया कि स्वजन के समझाने पर रामदास ने अपने हिस्से की भूमि बरेली निवासी बहन मीरा के नाम कर दी थी। इस बीच रामदास ने उक्त भूमि का कुछ हिस्सा वीरे जाटव की पत्नी मालश्री के नाम कर दिया था। जब इसकी जानकारी मीरा को हुई तो उन्होंने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में वीरे और उनकी पत्नी को जेल जाना पड़ा था।

इसी को लेकर रंजिश चल रही थी, लेकिन रामदास और वीरे में उठना बैठना था। घटना वाली रात दोनों ने बैठ कर शराब पी थी। इस दौरान दोनों में विवाद हो गया जिस पर वीरे ने रामदास की हत्या कर दी। न्यायालय के आदेश पर हत्यारोपित को जेल भेज दिया गया।

पुलिस हिरासत में हत्यारोपित वीरे • जागरण

चप्पल ने खोला हत्या का राज

शव मिलने कर सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर भीड़ में वीरे भी मौजूद था। जो पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। शव के नीचे एक चप्पल मिली थी। दूसरी चप्पल वीरे के खेत पर मिली। तभी से पुलिस को वीरे पर संदेह हो गया और उसे धर दबोचा।

चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज : मोहम्मदाबाद : गांव तेरा गढ़िया निवासी मान सिंह ने गांव के ही जदुनाथ, रोहित, अजीत व मुन्नी देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 28 जून की रात वह अपने घर पर थे। नाली का पानी निकालने को लेकर आरोपितों ने गाली गलौज किया। विरोध करने पर लाठी डंडों व लात घूंसों से पीटा। मारपीट में उनके पुत्र सुधीर, पुत्री शिवानी व पत्नी कांती देवी के चोटें आईं।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

दुष्कर्मी को 10 और साथी को अपहरण में पांच साल की सजा

कोर्ट ने एक पर 40 और दूसरे पर 10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मुकदमे में दो युवकों को दोषी करार दिया। एक युवक को दुष्कर्म में 10 और उसके साथी को अपहरण में पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी पर 40 हजार और साथी पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।

मोहम्मदाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 15 वर्षीय पुत्री 24 फरवरी 2014 को गांव में भागवत सुनने गई थी। लौटकर घर न आने पर परिजन उसकी तलाश करने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला।

पिता ने 27 फरवरी को पुत्री की गुमशुदगीदर्ज कराई। 27 मार्च को पिता के पास एक नंबर से आए फोन पर पुत्री ने बात की और बताया कि उसको गांव अतावलपुर निवासी उमाकांत और उसका रिश्तेदार दीपू अपने साथ ले आया है। वह कानपुर के मोहल्ला दादानगर में एक कमरे में जबरन रखे हुए है। इसकी जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने दीपू के पिता को पकड़ लिया।

जानकारी पर दीपू ने बेटी को कन्नौज के ठठिया स्थित उसकी ननिहाल में छुड़वा दिया। पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए और उसके आधार पर गुमशुदगी को अपहरण व दुष्कर्म में तरमीम कर दिया।

जांच के बाद पुलिस ने उमाकांत और दीपू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने दीपू को किशोरी से दुष्कर्म, अपहरण में दोषी पाकर 10 साल कैद और उमाकांत को किशोरी का अपहरण करने के जुर्म में पांच साल कैद की सजा व जुर्माने से दंडित किया है।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

अपहरण में एक को 10 व दूसरे को पांच साल कैद

फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने पॉक्सो और अपहरण के मामले में दो आरोपितों को सजा सुनाई है।

कोतवाली मोहम्मदाबाद के एक गांव के ग्रामीण ने वर्ष 2014 में दीपू, उमाकांत सहित चार लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि उसकी पुत्री को आरोपित दीपू व उमाकांत बहला फुसलाकर भगा लाये और रावतपुर ले गये। दीपू अपने घर ले गया तो वहां अन्य आरोपितों ने दीपू से शादी करने का दवाब बनाया। पीड़िता ने जब शादी करने से मना किया तो दीपू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिवार को जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर चार आरोपितों के खिलाफ अपहरण, जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने मुकदमे में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया और मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। साक्ष्यों, अभिलेखों, बचाव पक्ष के वकील के अलावा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज कटियार, विकास कटियार, प्रदीप सिंह की दलीलों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने दो आरोपितो को सजा सुनाई। दीपू को दस वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है तो वहीं आरोपित उमाकांत को अपहरण के मामले में पांच वर्ष की सजा व दस हजार के जुर्माने से दंडित किया है।

किशोरी का अपहरण करने में दोषी को दस साल का कारावास

जासं, फर्रुखाबाद : किशोरी का अपहरण करने के आरोप में आठ वर्ष पूर्व रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रेमशंकर ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है।

मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने 24 फरवरी 2014 को किशोरी का अपहरण, दुष्कर्म व धमकी आदि के आरोप में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे के विवेचक ने गांव अलावलपुर निवासी दीपू के खिलाफ पाक्सो, अपहरण आदि धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दीपू को दोषी करार दिया। दीपू को अपहरण में पांच वर्ष की कठोर कैद व दस हजार जुर्माना, पाक्सो में दस साल की कठोर कैद व बीस हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा किशोरी को ले जाने में पांच साल की सजा व दस हजार जुर्माना से भी दंडित किया है। न्यायाधीश ने पीड़िता को मानसिक व शारीरिक आघात की क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुआवजा राशि भी 30 दिन में डीएम के माध्यम से दिलाने के आदेश जारी किए हैं।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

तमंचे के साथ गिरफ्तार

कायमगंज : कुआंखेड़ा चौकी क्षेत्र के गांव खजुरिया मोड़ के पास चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने संदिग्ध हालत में घूम रहे युवक की तलाशी में 315 बोर का देशी तमंचा व कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार युवक ने खुद को गांव जयसिंहपुर निवासी हरिभान यादव पुत्र रामधन यादव बताया। संस

शराब सहित दो युवक गिरफ्तार

कमालगंज : उप निरीक्षक विमल कुमार ने बुधवार शाम गांव सिंगुरापुर निवासी बबलू को भटपुरा तिराहे से 20 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने राजेपुर सरायमेदा निवासी अखिलेश कुमार को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़ा। पुलिस ने दोनों आरोपितों को थाने लाकर मुकदमा दर्ज कराया। बाद में दोनों थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया। संसू

मीडिया सेल